न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 30/2023 सीसीएमएस नम्बर 2023/123

अपीलान्ट
भागीदारी फर्म मैसर्स राजश्री नमक उद्योग खारड़की जरिये भागीदार :–
1. विक्रम सिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत निवासी सांवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)
2. ओम कँवर पत्नी दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी सांवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट्स
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां।

स्वर्गीय पूराराम पुत्र जवानाराम के विधिक उत्तराधिकारी
2. मोहनाराम पुत्र स्व. पूराराम
3. रामेश्वरलाल पुत्र स्व. पूराराम
4. श्योकरणराम पुत्र स्व. पूराराम
5. केशर देवी पुत्री स्व. पूराराम
6. मलकु देवी पुत्री स्व. पूराराम समस्त जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा (सरगोठ) तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।
7. नरेश कुमार पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी खारड़की तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

अधिवक्ता:–
1. श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां राज0 सरकार की ओर से उपस्थित।
3. श्री राजेन्द्र माथुर एवं श्री लाल सिंह गौदारा रेस्पोडेन्ट की ओर से अनुपस्थित।

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1084 दिनांक 27.12.2019 व
नामान्तरकरण संख्या 1093 दिनांक 22.06.2020 न्यायालय तहसीलदार नावां

निर्णय

दिनांक: 30.07.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के नामान्तरकरण संख्या 1084 [illegible]करण संख्या 1093 दिनांक 22.06.2020 के विरूद्ध पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

2 अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.03.2021 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/4093 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

3 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश किया। अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि :-

- ग्राम खाखड़की तहसील नावां के खसरा संख्या 429 रकबा 1.6200 हैक्टयर स्वर्गीय पूसाराम पुत्र जवानाराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा की खातेदारी अवस्थित रही है तथा स्वर्गीय पूसाराम पुत्र जवानाराम ने खसरा संख्या 429 रकबा 1.6200 हैक्टयर में स्थित अपने खातेदारी अधिकार राजस्थान सरकार के हक में समर्पित कर दिये तथा उक्त खसरे की भूमि नमक उत्पादन हेतु आवंटन / रूपान्तरण का प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 30-8-1991 को आदेश क्रमांक F12 (103) REV/91/3473 दिनांक 30-8-1991 को खसरा संख्या 429 रकबा 1.62 हैक्टयर की लीज मैसर्स जय भवानी साल्ट इण्डस्ट्रीज खाखड़की जरिये प्रोपराईटर पूसाराम पुत्र जवानाराम के नाम जारी कर दिया गया।
- खसरा संख्या 429 रकबा 1.6200 हैक्टयर भूमि जो कि नमक उत्पादन के लिए श्रीमान् जिला कलेक्टर नागौर द्वारा जय भवानी साल्ट इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर पूसाराम के नाम लीज की गई थी को पूसाराम पुत्र जवानाराम ने उक्त खसरा संख्या 429 रकबा 1.6200 हैक्टयर लवण क्षेत्र अपीलार्थीगण के पक्ष के हस्तान्तरण करने बाबत् प्रार्थना पत्र महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नागौर के कार्यालय में पेश किया। उक्त आवेदन पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नागौर के आदेश क्रमांक F25(20) लवण/खाखड़की/2016/6115-23 दिनांक 01-12-2016 के द्वारा उक्त लीज अपीलार्थीगण के नाम हस्तान्तरण कर दी गयी।
- चूंकि खसरा संख्या 429 रकबा 1.6200 हैक्टयर कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलेक्टर नागौर द्वारा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ लवण क्षेत्र के रूप में रूपान्तरण करने के कारण भूमि की किस्म कृषि भूमि नही रही परन्तु अधिकार अभिलेख में जमाबंदी में भूलवश अपीलार्थीगण ने उक्त लीज की प्रविष्टी दर्ज नहीं करवाई जिसके फलस्वरूप पूसाराम पुत्र जवानाराम के नाम से ही कृषि भूमि [illegible] रही।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

- समय के अंतराल के साथ उक्त पूसाराम पुत्र जवानाराम की मृत्यु हो गयी। जमाबंदी में खाता पूसाराम पुत्र जवानाराम के नाम खातेदारी दर्ज रह जाने से प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 ने उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाम करवा ली तथा उसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 ने प्रत्यर्थी संख्या 7 को विक्रय कर दी।
- इस प्रकार उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1084 दिनांक 27–12–2019 पूर्ण रूप से प्रभाव शून्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को लीजशुदा भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 7 ने प्रभाव शून्य विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1093 दिनांक 27–12–2020 उक्त प्रश्नगत भूमि अपने नाम करवा ली।
- प्रश्नगत का स्वामित्व एवं मालिकाना हक उद्योग विभाग राज्य सरकार का है तथा अपीलार्थी की हैसियत मात्र लीज धारक की हैं।

वकील अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए
गुमाना राम बनाम राज्य 2002 RRD 328 : जहां विक्रेता को विक्रय करने का अधिकार नहीं है तो उससे क्रेता को क्रय करने का अधिकारी कैसे माना जा सकता है।

5 राजकीय पैरोकार ने इस प्रकरण के संबंध में यह निवेदन किया कि इस प्रकरण के संबंध नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरकरण दर्ज किये गये है।

6 वकील अपीलान्ट एवं राज पैरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा जारी नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अभिलेखीय स्थिति, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश है कि नामान्तरकरण संख्या 1084 दिनांक 27–12–2019 तथा नामान्तरकरण संख्या 1093 दिनांक 22–06–2020 प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से अपास्त किये जाते है तथा तहसीलदार नावां को राजस्व अभिलेख में लीजशुदा भूमि की प्रविष्टी कृषि से अकृषि दर्ज करने हेतु आदेश दिए जाते है। तहसीलदार नावां को इस आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी